



राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- प.14(1)परि/2014


जयपुर, दिनांक:-19.05.2020

आदेश

सशस्त्र सेनाओं के शौर्य पदक धारकों को अर्द्धसैनिक बलों (BSF, CRPF, & RAC) के शौर्य पदक धारकों की तरह राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त सुविधा के वास्तविक व्यय का पुनर्भरण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को पुनर्भरण की अभिशंषा हेतु गठित समिति की सिफारिश पर निःशुल्क यात्रा पुनर्भरण मद में उपलब्ध प्रावधान में से किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी.संख्या 102001442 दिनांक 13.05.2020 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से



(पी.डी. पारीक) 19/5/2020
उप शासन सचिव

जयपुर, दिनांक:- 19.5.2020

क्रमांक:- प.14(1)परि/2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, परिवहन/सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री परिवहन राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव अति० मुख्य सचिव, परिवहन राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग मुख्यालय जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
11. कम्प्यूटर सैल, परिवहन आयुक्त कार्यालय जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव